न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, देहरादून

प्रकीर्ण वाद संख्या– 1496/2026

प्रार्थी – मनोज बर्थवाल

मुकदमा अपराध संख्या 72/2026
अंतर्गत धारा– 134, 317(2) बी0एन0एस0
थाना–बसन्त विहार, देहरादून।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता– श्री उपेन्द्र सिंह मुनियारी

आदेश

दिनांक–27–04–2026

प्रार्थी मनोज बर्थवाल पुत्र श्री डी0पी0 बर्थवाल के द्वारा मु0अ0सं0 72/2026 अन्तर्गत धारा– 134, 317(2) बी0एन0एस0 में बरामद सेमसंग गैलेक्सी मोबाईल को अपनी सुपुर्दगी में लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2– प्रार्थना पत्र पर थाना बसन्त विहार से आख्या तलब की गई जो कि अभिलेख पर संलग्न है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित सैमसंग मोबाईल फोन बरामद हुआ है, जो प्लास्टिक के डिब्बे में सील सर्वे मोहर थाना हाजा के मालगृह में सुरक्षित मौजूद है।

3– प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथ पत्र, मोबाईल बिल की प्रति एवं स्वयं का आधारकार्ड प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट से प्रार्थी मनोज बर्थवाल ही प्रकरण में वादी होना विदित है। प्रार्थी की शिनाख्त उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी।

5– माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **सुन्दरभाई अम्बालाल देसांई बनाम गुजरात राज्य में** पारित दिशा–निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त से बरामद सामान एवं धनराशि को मालखाने में जमा रहने रहने का औचित्य नहीं है।

6– अभियुक्त से हस्तगत मामले से संबंधित बरामद सेमसंग मोबाईल फोन को निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम रूप से अवमुक्त किये जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तदानुसार उपरोक्त सेमसंग मोबाईल फोन को प्रार्थी के पक्ष में अंकन 1,00,000/–(एक लाख रूपये) का एक व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं इसी राशि का एक जमानती तथा इस आशय की एक अण्डरटेकिंग देने पर अन्तरिम रूप से अवमुक्त किया जाता है कि:–

(1)– प्रार्थी उक्त फोन को न्यायालय के आदेश के बिना अन्यथा व्ययन नहीं करेंगे।

(2)– उपरोक्त सामान के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।

(3)– जब भी न्यायालय प्रश्नगत फोन को न्यायालय में तलब करेगा स्वयं के खर्चे पर न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

7 उपरोक्त शर्तों का पालन किये जाने के उपरांत प्रश्नगत मोबाईल फोन को, यदि किसी अन्य मामले में वॉछित न हो, नियमानुसार आवश्यक प्रपत्रों की जॉच कर तथा प्रार्थी की पहचान सुनिश्चित कर अंतरिम रूप से प्रार्थी की सुपुर्दगी में अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।

(भावना पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
देहरादून।